



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

सहायक सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) परीक्षा-2014

संख्या: 42/12/E-1/D.R.(A.R.I)/2014-15

हरिद्वार: दिनांक 29 जुलाई, 2016

साक्षात्कार कार्यक्रम

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक सम्भागीय निरीक्षक(प्राविधिक) परीक्षा-2014 की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के परिणाम दिनांक 30 जून, 2016 में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 29 अगस्त, 2016 को निम्नवत् निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

साक्षात्कार तिथि:- 29 अगस्त, 2016

1. समय:- पूर्वाह्न: 9:30 बजे

अनुक्रमांक- 200001 200003 200006 200007 200009 200013 200019 200022

2. समय:- अपराह्न- 12:30 बजे

अनुक्रमांक- 200002 200004 200005 200008 200012 200021 200023 200024

साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

(1) अभ्यर्थी साक्षात्कार ज्ञाप, साक्षात्कार हेतु आवेदन-पत्र इत्यादि आयोग की वेबसाइट-www.ukpsc.nic.in से 10 अगस्त, 2016 से डाउनलोड कर सकेंगे। साक्षात्कार ज्ञाप के निर्देशानुसार समस्त प्रपत्रों को पूर्ण रूप से भरकर शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण, अनुभव से सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र/राज्याधीन सेवा में होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न करते हुये साक्षात्कार तिथि को मूल अभिलेखों के साथ आयोग के अधिकारी/कर्मचारी को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगे।

(2) प्रश्नगत पदों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या :-ए-2/ई-1(ए0आर0आई0)/2014-15 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के अनुसार दिनांक 25 दिसम्बर, 2014 तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारक होना अनिवार्य है।

(3) अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ साक्षात्कार तिथि को निम्न अभिलेख मूल रूप में परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगे।

1. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र एवं अंक-तालिका। 2. डिप्लोमा के लिए अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र। 3. विज्ञापन के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र। 4. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र/राज्याधीन सेवा में सेवायोजित होने का प्रमाण पत्र। 5. अधिमानी अर्हताओं (preferential Qualifications) से सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। 6. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। अ0पि0व0 का प्रमाण-पत्र दिसम्बर, 2013 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। 7. अभ्यर्थी यदि किसी सेवा में सेवारत है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र मूल/स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।

(एस0एन0 पाण्डे)
सचिव 25.07.2016